झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–81 / 2020

साथ में

बी0ए0 संख्या–11545 / 2019

कानु राम सोय उर्फ कानु सोय

.... बी0ए0 सं0–81 / 2020 में याचिकाकर्त्ता

1. समिर सोय उर्फ सिकंदर सोय उर्फ समीर सोय

2. मंजु सोय

.... बी0ए0 सं0–11545 / 2019 में याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री जे0एन0 उपाध्याय, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री प्रणय कुमार जयसवाल, ए0पी0पी0।

सूचक के लिएरू श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता।

4 / 24.01.2020

पक्षों को सुना।

चूंकि दोनों आवेदन, खरसावां थाना काण्ड संख्या 39/2018 से उत्पन्न मामलों में जमानत हेतु दायर किया गया है, इसलिए इसे समान आदेश के द्वारा निपटाया जा रहा है।

सूचक के बेटे की शादी, बी0ए0 संख्या 81/2020 में याचिकाकर्त्ता के बेटी के साथ हुई थी। यह आरोप लगाया गया है कि सूचक के बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। दिनांक 20.07.2018 को उसके पुत्र को याचिकाकर्त्ता कानु राम सोय के यहाँ ले जाया गया। उसका बेटा बीमार हो गया और अंततः मर गया।

बी0ए0 संख्या 81/2020 में याचिकाकर्त्ता, मृतक के ससुर हैं जबकि बी0ए0 संख्या 11545/2019 में याचिकाकर्त्ता संख्या 2 मृतक के बहनोई हैं।

यह प्रतीत होता है कि बी0ए0 संख्या 81/2020 में याचिकाकर्त्ता कानु राम सोय का प्रश्न है, उस पर कई आपराधिक मामलमे हैं जैसाकि केस डायरी के अनुच्छेद 31 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में प्राथमिकी का अंश है जिससे यह प्रतीत होता है कि अपराध कारित करने में कठोर और कुंद हथियार का उपयोग किया गया था।

यद्यपि, जहाँ तक बी0ए0 संख्या 11545/2019 में याचिकाकर्त्ता का संबंध है, आरोप की प्रकृति सामान्य और सर्वव्यापी है।

बी0ए0 संख्या 81/2020 में याचिकाकर्त्ता कानु राम सोय उर्फ कानु सोय के आपराधिक पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए, मैं उसे जमानत देने का इच्छुक नहीं हूँ। अतः उसका जमानत का आवेदन खारिज किया जाता है।

यद्यपि, जहाँ तक बी0ए0 संख्या 11545/2019 में याचिकाकर्त्ता का संबंध है, उपरोक्त के संदर्भ में, समिर सोय उर्फ सिकंदर सोय उर्फ समीर सोय और मंजु सोय को 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, सरायकेला के संतुष्टि पर, खरसावां थाना काण्ड संख्या 39/2018 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

इन दोनां आवेदनों को निपटाया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)